



# कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन कमिश्नरेट वाराणसी

## प्रेस नोट

दिनांक-16.05.2024

विषय:- “आपरेेशन कन्विकशन” के तहत प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप थाना कैंट में आर्म्स एक्ट के मुकदमे से सम्बन्धित अभियुक्त को जेल मे बितायी गयी अवधि व 500/- रु0 अर्थदण्ड ।

थाना कैंट, कमिश्नरेट वाराणसी में पंजीकृत मु0अ0सं0-390/2009 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त जितेन्द्र मिश्रा पुत्र रामचन्द्र मिश्रा निवासी पपरावन थाना बरसठी जनपद जौनपुर को प्रभारी निरीक्षक कैंट व मॉनिटरिंग सेल वाराणसी की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप आज दिनांक-16.05.2024 को माननीय न्यायालय JM-II वाराणसी द्वारा दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त जितेन्द्र मिश्रा उपरोक्त को जेल मे बितायी गयी अवधि(19 दिवस) व 500/- रु0 के अर्थदण्ड से दंडित किया गया ।

सोशल मीडिया सेल  
पुलिस उपायुक्त, वरुणा जोन  
कमिश्नरेट वाराणसी।